

PRASHAST App 2.0: बिहार के शिक्षकों के लिए सम्पूर्ण डिजिटल मार्गदर्शिका

समावेशी शिक्षा की ओर एक कदम



शासनादेश: एक नज़र में (ज्ञापांक- 1579)

7/20/25, 12:01 PM

Senyog Portal - RTMS | Govt. of Bihar

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद,
शिक्षा भवन, राष्ट्रभारहा पारिशद,
सैदपुर, राजसदा नगर-800004



Bihar Education Project Council,
Shiksha Bhawan, Rastrabharha Parishad
Saidpur, Rajasnda Nagar-800 004

Officer Type: 11

1 Despatch No: 1579/2019-20 (Part-1) दिनांक 20/07/2026

Education Officer
सीवा में,

शिला शिवा पदाधिकारी,
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (EE & SSA),
समी जिले।

विषय : जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय के शिक्षकों का PRASHAST App 2.0 पर पंजीकरण करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अंकित करना है कि NCERT, नई दिल्ली द्वारा PRASHAST App 2.0 का औपचारिक शुभारंभ दिनांक 06.07.2026 को V.C के माध्यम से किया गया है, जिसमें जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की रिकनिंग करने हेतु शिक्षकों को निम्न निर्देश दिए गये हैं—

1. जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय के शिक्षक नीचे दिये गये लिंक पर अपना पंजीकरण करेंगे।
2. पंजीकरण के समय शिक्षक UPISE में दिये गये पोडकास्ट बाबर का उपयोग करेंगे।
3. पंजीकरण के उपरान्त PRASHAST App 2.0 के संचालन से संबंधित वीडियो दिया गया है, जिसे सभी शिक्षकों को देखना अनिवार्य है।
4. उपरोक्त दिये गये लिंक पर सभी विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा पंजीकरण 31 जुलाई, 2026 तक करना अनिवार्य है।
5. तत्काल शिक्षकों के दिनांक प्रमति को सबसे NCERT, नई दिल्ली द्वारा की जावेगी।
6. पंजीकरण की अपरान्त छात्रों के रिकनिंग की योजना—

➤ प्रथम तब दिन 15.08.2025 से 15.09.2026 के बीच विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं का PRASHAST App 2.0 के माध्यम से शिक्षकों द्वारा रिकनिंग किया जावेगा।

अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि जिसान्तात कार्यरत सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय के शिक्षकों का PRASHAST App 2.0 पर, सेमा आवेकित कर पंजीकरण निर्वहित समयावधि में करना सुनिश्चित करेंगे। (निर्देश जानकारी हेतु श्री सचिवीर कुमार मिश्र, राज्य सलाहकार, UNICEF पोडकास्ट नं० - 7004290857 से संपर्क किया जा सकता है।)

विराटभाजन
(समी जिले)



NCERT, नई दिल्ली द्वारा 06.07.2026 को PRASHAST App 2.0 का औपचारिक शुभारंभ।



बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का स्पष्ट निर्देश: जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय के शिक्षकों का 100% पंजीकरण अनिवार्य है।

<https://teachersofbihar.org/>

PRASHAST क्या है? (Pre-Assessment Holistic Screening Tool)



समग्र शिक्षा अभियान

स्कूल-आधारित मानकीकृत स्क्रीनिंग टूल, जो छात्रों की प्रारंभिक पहचान और सहायता सुनिश्चित करता है।



RPwD Act 2016

21 प्रकार की दिव्यांगताओं (Disabilities) की वैज्ञानिक पहचान, बिना किसी मेडिकल विशेषज्ञता के।

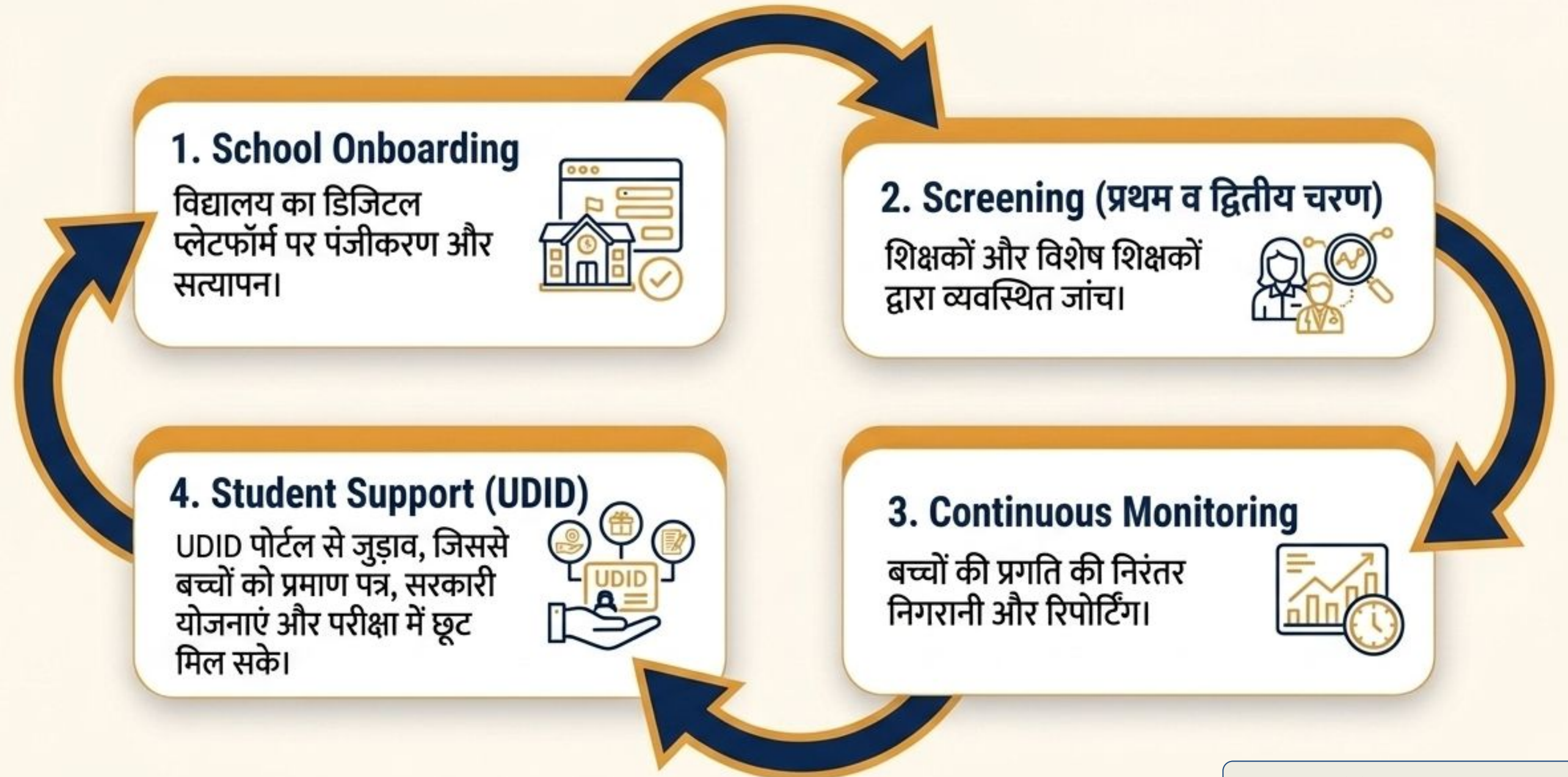


RTE Act 2009

शिक्षा के अधिकार के तहत हर बच्चे के लिए समावेशी शिक्षा का पूर्ण समर्थन।

समावेशी शिक्षा

छात्र सहायता का डिजिटल चक्र (The PRASHAST Lifecycle)



2-स्तरीय स्क्रीनिंग प्रक्रिया: किसकी क्या भूमिका है?



Part-1 (प्रथम चरण)

कौन करेगा (Who): सामान्य शिक्षक (Regular Teacher)

कार्य (Task): छात्रों के रोजमर्रा के व्यवहार (शारीरिक, दृश्य, श्रवण, वाक्, सीखने के तरीके) का केवल अवलोकन (Observation)।

परिणाम (Outcome): संभावित विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को शॉर्टलिस्ट करना।



Part-2 (द्वितीय चरण)

कौन करेगा (Who): विशेष शिक्षक (Special Educator)

कार्य (Task): शॉर्टलिस्ट किए गए छात्रों का विस्तृत सत्यापन और श्रेणीबद्ध (Categorize) करना।

परिणाम (Outcome): रेफरल (Referrals) तैयार करना और हस्तक्षेप योजना बनाना।

महत्वपूर्ण: Part-1 के लिए शिक्षकों को किसी मेडिकल विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है! 

शिक्षकों के लिए 6 अनिवार्य निर्देश (Action Dashboard)



लिंक

दिए गए PRASHAST पोर्टल लिंक पर सभी सरकारी व निजी शिक्षकों का पंजीकरण अनिवार्य है।

01



मोबाइल नंबर

पंजीकरण के लिए केवल UDISE में पंजीकृत मोबाइल नंबर का ही उपयोग करें।

02



ट्रेनिंग

पंजीकरण के तुरंत बाद App संचालन से संबंधित वीडियो ट्यूटोरियल देखना अनिवार्य है।

03



अंतिम तिथि

31 जुलाई 2026 तक हर हाल में अपना पंजीकरण पूरा करें।

04



निगरानी

पंजीकृत शिक्षकों की जिलावार प्रगति की कड़ी समीक्षा NCERT, नई दिल्ली द्वारा की जाएगी।

05



स्क्रीनिंग

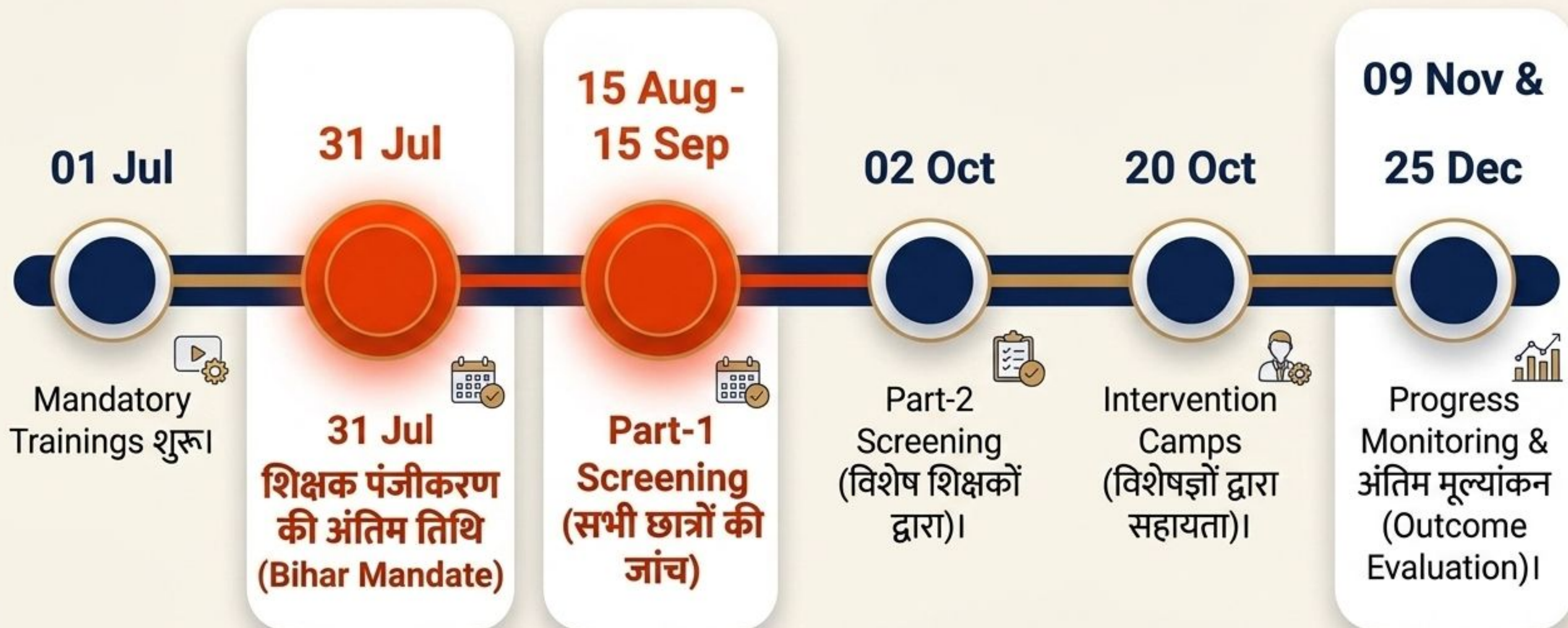
15 अगस्त से 15 सितंबर 2026 के बीच App के माध्यम से प्रथम चरण (Part-1) की स्क्रीनिंग की जाएगी।

06

पंजीकरण कैसे करें? (Step-by-Step Guide)



मास्टर टाइमलाइन 2026 (महत्वपूर्ण तिथियां)



सहायता एवं महत्वपूर्ण संसाधन



मार्गदर्शिका (Guides)

PRASHAST पोर्टल पर Headmaster, Part-1 (Teachers), और Part-2 (Special Educators) के लिए विस्तृत Implementation Guide उपलब्ध हैं।



UDID एकीकरण

बच्चों के मेडिकल सर्टिफिकेट और सरकारी लाभ के लिए UDID (Unique Disability ID) पोर्टल से सीधा जुड़ाव।



तकनीकी एवं राज्य सहायता (Helpdesk)

विशेष जानकारी एवं सहायता हेतु संपर्क करें: श्री धर्मवीर कुमार सिंह, राज्य सलाहकार, UNICEF.
मोबाइल नं. - 7004290957 (ज्ञापांक 1579 के अनुसार)।

अंतिम निष्कर्ष: आपकी तत्काल प्राथमिकताएं



31 जुलाई 2026 तक हर हाल में UDISE नंबर के साथ अपना पंजीकरण पूरा करें।



15 अगस्त - 15 सितंबर 2026 के बीच अपने विद्यालय के सभी छात्रों की Part-1 स्क्रीनिंग सुनिश्चित करें।

“आइए, तकनीकी के माध्यम से हर बच्चे के लिए एक समावेशी और उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करें। कोई भी बच्चा न छूटे।”